उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकम)
शक्ति भवन,
14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक संख्या : 940 मु०अभि० (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक : 03/09/2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि०,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषयः–एन्टी पावर थेफ्ट थानों को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक वाहन, सहवर्ती उपकरण, फर्नीचर एवं हिन्दी टाइपिंग हेतु टाइपिस्ट आदि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्रत्येक जनपद में विद्युत चोरी निरोधक थानों को क्रियाशील किये जाने हेतु विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व में कारपोरेशन से तद्विषयक निर्गत आदेशों के क्रम में पुनः निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये जाते हैः–

1. प्रत्येक जनपद के पुलिस थानों हेतु सतर्कता स्कन्ध की आवश्यकतानुसार उनकी मांग पर फर्नीचर कुर्सी, मेज आदि की व्यवस्था वितरण निगमों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
2. निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सतर्कता स्कन्ध को विद्युत चोरी निरोधक थानों को कियाशील किये जाने हेतु स्टेशनरी एवं कार्यालय सम्बन्धी अन्य उपयोग की जाने वाली सामग्री इत्यादि पर होने वाले व्यय के लिये प्रत्येक थाने हेतु प्रथम दो माह रू० पच्चीस हजार (रू० 25000.00) की धनराशि प्रतिमाह निर्गत करायी जायेगी। उसके उपरान्त सतर्कता स्कन्ध द्वारा प्रतिमाह होने वाले वास्तविक व्यय की मांग पर उन्हें निदेशक (वित्त) द्वारा आवश्यक धनराशि निर्गत कराई जायेगी।
3. सतर्कता स्कन्ध द्वारा थानों एवं प्रवर्तन दलों की आवश्यकतानुसार, वाहनों की उपलब्धता अपने स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, एवं इस सम्बन्ध में निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा, सतर्कता स्कन्ध की मांग पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. सतर्कता स्कन्ध की आवश्यकतानुसार, प्रत्येक जनपद के विद्युत चोरी निरोधक थानों में टाइपिंग कार्य हेतु कर्मी की उपलब्धता, सम्बन्धित वितरण निगमों द्वारा संविदा कर्मी के रूप में की जायेगी, जो उनके द्वारा कार्यालय सम्बन्धी समान टाइपिंग कार्य हेतु प्रचलित वर्तमान दरों पर लिये जाने वाले संविदा कर्मी के रूप में करायी जायेगी।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांकः 940/मु०अभि०(वाणिज्य–II)/तद्दिनांकः 03/09/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II),उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (~~जनपद प्रवेश~~–द्वितीय), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।